

साहायक कलेक्टर ^{मुकाम} भीनमाल
 श्रीमति मोंरी देवी ^{बनाम} प्रपत्नीगण - जगदीश सुन्देड़ा
 कौरा भीनमाल ^{नं} 3/2013 ^{अं} कौरा भीनमाल

धर्याई निषेधाज्ञा पत्र ^{सं} 2013
 हुकम या कार्यवाही मथ इनिशियल जज
 हुकम की तामील में जारी हुए

2) 3/13 प्रपत्नीगण कैलाचिकका श्री बालुराम चौधरी द्वारा डक प्रपत्नीगण वाकत धर्याई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया पत्र पर जज महोदयों प्रपत्नीगण को जरिये नोटिस बलब है। प्रपत्नीगण कैलाचिकका द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रियायत में गण्डाई जमाने हेतु निषेधन दिया जाने पर प्रपत्नीगण के धर्याई निषेधाज्ञा का दुरुनने वाडगुहत्कारानी का मौका ख लोकन कर रियायत प्रस्तुत करे हेतु श्रीमदन सिंह शकधिका को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व सिद्धेश प्रियु जात है व वे दोनों पक्षों को पूर्व में सूचित कर उनकी उपस्थिति में वाकत कारानी कामों का दव लोकन करे व मौके के लालतव्य रूप से उल्लेख करे तथा कंपनी को रसे किली प्रकट की शपथ पत्र लही करे। मौका कमिश्नर फीरु 3000- तथा बीजाली है। प्रपत्नीगण मौका कमिश्नर को फीरु करे। कि लता रीच 5/5/13 का फौरी

नैरि 25 फाल्गुनी
 संक्र 48/213-1

२७.५.१९ व कुलाथे फरीकन इपरखिता
ग्रामने मे बहस बुनी गई। प्राथी
का प्राथना पत्र स्वीकार किया
जाता है विलुप्त विपश्चन अलग
से निला जाका शामिल मिलल
किया गया। मिलल फेल्लु शुभार
होकर नम्बर ले कम हो।

सहायक कलेक्टर
धीरमाल